पत्रांकः– वन भूमि–09 / 2019..... / प०व०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह, भा०व०से०
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची–834002

पटना–15, दिनांक.....

विषय :– सीवान जिलान्तर्गत महाराजगंज–मशरक रेल लाईन पर NH-101 छपरा–सलेमपुर पथ, बड़कागाँव–बसंतपुर के बीच प्रस्तावित ROB निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.361 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव उप मुख्य अभियंता (निर्माण), मुख्यालय, गोरखपुर द्वारा समर्पित किया गया है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित पथ बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन विभाग की अधिसूचना संख्या–190 (ई०) दिनांक–16.02.1994 के अंतर्गत "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, परन्तु भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित पथांश पर ROB एवं पहुँच पथ निर्माण में 1.361 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु 117 वृक्षों के पातन की अनुशंसा की गयी है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्र०सं०	पातित होने वाले वृक्षों की संख्या	
	0–60 CM तक	60 CM से अधिक
1	37	80

विषयांकित अपयोजन प्रस्ताव हेतु वानस्पतिक घनत्व 0.3 अंकित किया गया है।

जिला पदाधिकारी, सीवान द्वारा निर्गत कुल–1.361 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के लिए FRA, 2006 प्रमाण–पत्र की मूल प्रति संलग्न है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 1.361 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 2.722 हे० अर्थात 03 हे० अवकृष्ट वन भूमि को वन प्रमंडल रोहतास के सासाराम प्रक्षेत्र अन्तर्गत कुशडीहरा PF को चिन्हित करते हुए वृक्षारोपण का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास से प्राप्त की गयी है, जो संलग्न है।

क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है का प्रमाण–पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।

2. 1.361 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 8.51,986/–(आठ लाख इकावन हजार नौ सौ छियासी रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

3. अपयोजित होने वाली 1.361 हे० के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए रोहतास वन प्रमंडलन्तर्गत 3.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि कुशडीहरा सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 19,35,678/– (उनीस लाख पैतीस हजार छः सौ अठहत्तर रूपये) मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।

4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1028/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

5. 60 से०मी० से कम परिधि पौधों को पातन नहीं किया जायेगा, इन पौधों को वन प्रमंडल पदाधिकारी के निदेशानुसार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा Translocate किया जायेगा।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/–
(सुरेन्द्र सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–09/2019................./प०व०, पटना–15, दिनांक..

प्रतिलिपि :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/ उप मुख्य अभियंता (निर्माण), मुख्यालय, गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(सुरेन्द्र सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–09/2019 206(६) /प०व०, पटना–15, दिनांक 15/02/19

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

15/02/19

(सुरेन्द्र सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव